**प्रेस नोट**
**दिनांक 02.11.2024**

**" यातायात माह" नवम्बर-2024 का शुभारम्भ पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा " बाईक रैली" निकाल कर सड़क सुरक्षा "यातायात माह" का किया गया शुभारम्भ-**
**आम जनमानस को वाहन चलाते समय यातायात नियमो का पालन करने हेतु किया गया जागरूक-**

आज दिनांक 02.11.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के द्वारा "यातायात माह" के तहत यातायात कर्मी, होमगार्ड व पी0आर0डी0 के जवानों के साथ स्वंय बाईक रैली निकालकर सड़क सुरक्षा यातायात माह नवंबर 2024 का शुभारम्भ किया गया। बाइक रैली एकता चौक से शुरू होकर पाण्डेय बाजार, सद्भावना चौकी, मनकापुर तिराहा, महराजगंज चौकी, गुड्डूमल्ल चौराहे से होते हुए थाना कोतवाली नगर में समाप्त हुई। जिससे आम जनता को यातायात नियमों की जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया । यातायात नियमों का पालन करके सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। महोदय द्वारा रैली के दौरान आम जनमानस व वाहन चालको को संबोधित करते हुए यातायात नियमों के पालन करने/कराने का संदेश दिया गया ।

01. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन/इयरफोन का प्रयोग न करे।
02. नाबालिक बच्चो का वाहन चलाना वर्जित है।
03. दो पहिया वाहन चालक एवम् पीछे बैठी सवारी हेलमेट का प्रयोग करना अनिवार्य है।
04. चार पहिया वाहनों का प्रयोग करते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करे।
05. गाडियों में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियाँ बैठाना नियम विरूद्ध है।
06. गाडियों में निर्धारित क्षमता से अधिक गति से वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है।
07. दायें बायें मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग करे।
08. दो पहिया वाहन पर सवारी से अधिक सवारी बैठाकर वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है।
09. वाहनों को निर्धारित स्थान पर ही पार्क करे।
10. वाहनों पर आगे व पीछे दोनो साइड निर्धारित रिफ्लेक्टर टेप लगाकर चले।
11. एम्बुलेंस एवं फायर वाहनों को जाने हेतु रास्ता पहले प्रदान करे।
12. नशे /मादक द्रव्यों का सेवन कर वाहन न चलाये।
13. वाहन चलाते समय सड़क पर स्टंड न करे।
14. सड़क पर दुर्घटना होने पर घायल व्यक्तियों की मदद करे तथा 112 को सूचित करे।

**इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा, प्रभारी निरीक्षक को0नगर श्री मनोज कुमार पाठक, यातायात प्रभारी श्री जगदम्बा गुप्ता, होमगॉर्ड व पी0आर0डी0 के जवान आदि मौजूद रहे।**

मीडिया सेल गोण्डा।

**प्रेस नोट,**
**दिनांक 02.11.2024, थाना परसपुर**
**जनपद गोण्डा।**

## थाना परसपुर पुलिस द्वारा चोरी/लूट की कई घटनाओं में संलिप्त शातिर चोर/लुटेरा को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-357/24, धारा 303(2),317(2) बीएनएस, मु0अ0सं0-355/24, धारा 305,317(2) बीएनएस, मु0अ0सं0-244/24, धारा 392 भादवि से सम्बन्धित घटनाओं में संलिप्त चोर/लूटेरा- 01.गुल्ली उर्फ गुलेराज पुत्र रामखेलावन उर्फ धमसा निवासी नायबपुरवा मौजा पस्का थाना परसपुर जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

## घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.08.2024 को वादी चुनमुन पासी पुत्र अयोध्या प्रसाद पासी नि0 ग्राम बढईन पुरवा मौजा पकवान गांव थाना उमरीबेमगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना परसपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 13.08.2024 को मै अपनी मोटरसाईकिल के साथ बांस गांव अपनी ससुराल गया था कि रास्ते में पसका बाजार के पास चाय पीने के लिए मोटरसाईकिल खड़ी की तभी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी मोटरसाईकिल को चोरी कर लिया गया है। सूचना पर थाना परसपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। दिनांक 17.08.2024 को विवेचना के दौरान प्रकाश में आये 02 आरोपी अभियुक्तों-01.रामसेवक पुत्र बरसाती, 02. विजय उर्फ मेघी पुत्र रामकेवल को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद हीरो हण्डा मोटरसाईकिल, एक बोरी में 10 अदद कपड़े व 1200 रू0 नगद बरामद किया गया। आज दिनांक 02.11.2024 को उक्त घटनाओं में संलिप्त आरोपी अभियुक्त गुल्ली उर्फ गुलेराज पुत्र रामखेलावन उर्फ धमसा निवासी नायबपुरवा मौजा पस्का थाना परसपुर जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## पूछताछ का विवरणः-

कडाई से पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह अपने साथी अभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 13.08.2024 को पसका बाजार से मोटरसाइकिल चुरायी थी तथा 10-11 दिन पहले हमलोगो ने दुरौनी डीहा गांव में यादव के घर में घुसकर सोने चांदी के जेवरात व कपड़े चुराये थे तथा करीब ढाई महीना पहले कस्बा परसपुर की रहने वाली एक महिला के गले से मोतियों का माला लूटा था। हम लोग आर्थिक लाभ कमाने के लिए चोरी/लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करते है।

## गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. गुल्ली उर्फ गुलेराज पुत्र रामखेलावन उर्फ धमसा निवासी नायबपुरवा मौजा पस्का थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

**<u>अनावरित अभियोग-</u>**

01. मु0अ0सं0-357/24, धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-355/24, धारा 305,317(2) बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0-244/24, धारा 392 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

**<u>गिरफ्तार कर्ता टीम-</u>**

01. उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
02. उ0नि0 सावन कुमार सिंह
03. उ0नि0 संदीप वर्मा
04. का0 उपेन्द्र रावत
05. का0 अमित यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।